न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—369/2015/223 (2015/00053)

1. गुलजार खान दत्तक पुत्र स्व0 नियामत खान, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम पोस्ट जालिया प्रथम, तहसील ब्यवार, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड हौल्डर,तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 25.5.2015 अंतर्गत वाद संख्या 14/2015.

उपस्थितः—

1. श्री वीरेन्द्रसिंह पंवार, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः—31.10.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय दिनांक 25.5. 2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम जालिया प्रथम तहसील ब्यावर में स्थित आराजी खसरा नंबर 1079/1 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी स्थित है उक्त आराजी खातेदारी काश्तकार पूर्व में स्व0 नियामत खान चले आ रहे थे । नियामत खान का स्वर्गवास दिनांक 12.5.1977 को हो गया था। अपीलांट स्व0 नियामत खान का दत्तक पुत्र है । नियामत खां एवं श्रीमती रहीमी के कोई जायंदा संतान पुत्र अथवा पुत्री नहीं थी । नियामत खां के स्वर्गवास के बाद अपीलांट ने ही नियामत खां के क्रियाक्रम पूर्ण किये थे । इसी कारण दिनांक 12.5.1977 को ही श्रीमती रहीमी ने अपने पति की इच्छा को पूर्ण करते हुए वादी को जाति समाज के मौतबीर व्यक्तियों की उपस्थिति में विधिनुसार रस्मों का पूर्ण करते हुए गोद लिया था । नियामत खां के स्वर्गवास के बाद विवादित आराजी का नामांतकरण श्रीमती रहीमी के नाम खोल दिया गया ।श्रीमती रहीमी के स्वर्गवास के बाद वादी/अपीलांट ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर श्रीमती रहीमी की मृत्यु होने से विवादित आराजी का नामांतकरण अपीलांट के नाम खोलने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार ने अपीलांट से सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करके आदेश लाने हेतु कहा इस कारण वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत

कर विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज कर लोक अदालत में दिनांक 25.5. 2015 को वाद की ड्रोप करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अंसतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट स्व0 नियामत खां एवं श्रीमती रहीमी का दत्तक पुत्र है । नियामत खां एवं रहीमी के कोई जायंदा संतान नहीं होने से रहीमी ने नियामत खां की मृत्यु उपरांत अपीलांट द्वारा नियामत खां का विधिनुसार क्रियाक्रम करने से श्रीमती रहीमी ने अपीलांट को जाति समाज के रस्मों रिवाज अनुसार दत्तक पुत्र स्वीकार किया था । श्रीमती रहीमी का भी स्वर्गवास हो चुका है एवं अपीलांट दत्तक पुत्र की हैसियत से विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चला आ रहा है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष तहसीलदार ने भी अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि अपीलांट को श्रीमती रहीमी द्वारा गोद लिया गया है एवं अपीलांट का ही विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है । जालिया प्रथम पटवारी द्वारा मौका पर्चा बनाया गया था, जिसमें ग्रामवासियों की गवाही भी दर्शायी गई है जिससे भी स्पष्ट होता है कि अपीलांट ही स्व0 नियामत खान एवं श्रीमती रहीमी का दत्तक पुत्र होकर विधिक वारिस है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण को कैम्प में रखकर संक्षिप्त निर्णय से अपीलांट के प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप करने के आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि भारतीय उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधानों के अनुसार चल सम्पतियों के संबंध में ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । अचल सम्पति के बारे में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है । वादी ने खातेदारी हक बाबत् वाद पेश किया था जिसके संबंध में अधी0न्याया0 को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था तथा इसका अधिकार राजस्व न्यायालय को ही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा वाद में चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जावे ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम लोक अदालत शिविर में दिनांक 25.5.2015 को उपस्थित हुआ तो उसे यह कहते हुए पत्रावली पर उपस्थिति हस्तातक्षर/अंगूठा निशानी कर देनें हेतु कहा गया कि आगामी तारीख पेशी उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आकर पता कर लेना । अपीलांट ने अपनी उपस्थिति बाबत् हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करके चला गया । 5–6 दिन बाद जब अपीलांट उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में गया तो उसे कहा कि अभी कोई आदेश/कार्यवाही नहीं लिखी गई है बाद में पता कर लेना । अपीलांट बार–बार अधी0न्याया0 में जाता रहा किन्तु उसे हमेशा टाला जाता रहा । तत्पश्चात् अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर कार्यवाही की जानकारी जाननी चाही तो दिनांक 20.5.2015 को जरिये अधिवक्ता वाद कार्यवाही की प्रतिलिपि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल आदेशिका प्राप्त की तब अपीलांट को ज्ञात हुआ कि उसके वाद को ड्रोप कर दिया गया है । तत्पश्चात् अपीलांट ने जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांट सक्षम सिविल न्यायालय से अपने आपको दत्तक पुत्र साबित कराये बिना किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । अपीलांट स्वंय ने अधी0न्याया0 के समक्ष वारिस होने होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की थी इसके बावजूद अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो संधारण योग्य नहीं है। विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वाद की कार्यवाही ड्रोप की है। अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद स्व0 नियामत खान के दत्तक पुत्र की हैसियत से प्रस्तुत किया था जिसमें वादी/अपीलांट स्वंय ने अधी0न्याया0 के समक्ष यह कथन किया था कि वह मृतक खातेदार का वारिस होने के संबंध में सक्षम न्यायालय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे इसके बावजूद अपीलांट द्वारा मृतक खातेदार का विधिक वारिसान होने के संबंध सक्षम न्यायालय के प्रमाण पत्र के यह अपील प्रस्तुत की है । दत्तक पुत्र घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है । अपीलांट/वादी सक्षम सिविल न्यायालय से अपने आपको मृतक खातेदार का विधिक वारिस/दत्तक पुत्र घोषित कराये बिना राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांट/वादी के वाद को ड्रोप करने की कार्यवाही की है जिसमें हमें कोई विधिक एवंत तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.5.2015 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर